फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी बूझडा, पो0 कुन्दवा प0स0 देवगढ जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ
– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 43/2019

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.11.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ के पत्रांक सू. अधि. 05/2019/2150 दि. 31.10.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना तैयार की जाकर दिनांक 11.10.19 को जरिये पत्र वाहक द्वारा संबंधित को भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना दिनांक 11.10.19 को जरिये पत्र वाहक प्रेषित किये जाने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.) लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमन्द	